कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक–सी–30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
नया,रायपुर(छ.ग.)

क्रमांक 412/67/आउशि/समन्वय/2015 नया रायपुर, दिनांक 14/09/2015
प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य
   समस्त शास. अग्रणी महाविद्यालय...
   (छ.ग.) ।

विषय :– **प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं विश्वविद्यालयों के कुलसिचवों की बैठक दिनांक 27.07.2015 का कार्यवाही विवरण का प्रेषण ।**

——00——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 27.07.2015 को आयोजित अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं कुलपतियों की बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया कार्यवाही विवरण की छायाप्रति अपने अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें एवं पालन प्रतिवेदन 10 दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमोदित)
संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ. कमांक/413/67/आउशि/समन्वय/2015 रायपुर,दिनांक 14/09/2015
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,महानदी भवन नया रायपुर।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
3. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।
4. संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
5. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर ।
6. डॉ. आर. बी. सुब्रमनियम, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।
7. डॉ. डी.एन. वर्मा, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
8. डॉ. के.एन. बापट अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
9. डॉ. समरेन्द्र सिंह, राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर
10. डॉ. पी.सी. चौबे, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।
11. संयुक्त संचालक(वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।
12. उप संचालक (टी) उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।

...........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 27.07.2015 को आयोजित प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक का कार्यवाही विवरण

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कुलसचिवों एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक दिनांक 27.7.2015 को प्रातः 11.00 बजे महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर में माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मंत्री, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा राजस्व विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारी–गण की सूची परिशिष्ट– "अ" पर है। बैठक हेतु एजेण्डा पूर्व से ही सभी को प्रसारित कर दिया गया था।

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मंत्रीजी, बैठक में उपस्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति–गण, कुलसचिव एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स एवं पी.डब्ल्यू.सी. के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हुए।

सर्व प्रथम बैठक दिनांक 22.5..2015 की बैठक की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन के संबंध में माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया गया तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये –

(i) निर्देशित किया गया कि शैक्षणिक सत्र 2015–16 के अकादमिक कलैण्डर अनुसार प्रवेश प्रकिया समयावधि में पूर्णकर ली जाये।

(ii) परीक्षा परिणाम के संबंध में विश्वविद्यालयवार विस्तृत चर्चा की गई तथा परीक्षा परिणाम के कम प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की गई। निर्देशित किया गया कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या दोष है इसका विस्तृत विश्लेषण करें। यदि आवश्यकता हो तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में आवश्यकतानुसार संशोधन की कार्यवाही किया जावे।

(iii) निर्देशित किया गया कि सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाईफाई सेवा प्रारंभ की जाए। इस संबंध में दिनांक 10.02.2015 को पत्र जारी किया गया है। सभी शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा सीमित संसाधन को देखते हुए प्रथमतः ग्रंथालय, हॉस्टल एवं कक्षाओं में वाई–फाई की सुविधा प्रारंभ की जा सकती है। उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यू.जी.सी. अथवा अन्य मद से धनराशि की व्यवस्था नहीं

होने की स्थिति में जनभागीदारी समिति की कुछ सीमित राशि का उपयोग भी इस हेतु किया जा सकता है।

(iv) एन.एम.आई.सी.टी योजनान्तर्गत की वाई–फाई सुविधा का उपयोग करें । एन.एम.आई.सी.टी के फंड का स्थानांतरण चिप्स को किया जा सकता है। विश्वविद्यालय / अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि वाईफाई चले और इसके के तहत सभी को इस सुविधा का लाभ मिले। इस हेतु एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें बी.एस.एन.एल. के अधिकारी, चिप्स के अधिकारी, अपर संचालक, विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा प्राचार्य सदस्य होगें।

(कार्यवाही अपर संचालक (एस) द्वारा)

(v) सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन कराना अनिवार्य है। इस शैक्षणिक सत्र में सभी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय नेक मूल्यांकन की प्रकिया अनिवार्यतः प्रारंभ करें। निजी विश्वविद्यालयों में, सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं मेट्स विश्वविद्यालय, रायपुर शैक्षणिक सत्र 2015–16 में अनिवार्य रूप से नैक मूल्यांकन करावें एवं क्षेत्रीय अपर संचालक एवं अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य सभी महाविद्यालयों में नेक मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य रूप से निम्न दो प्रस्तावों पर चर्चा की गई –

1. विद्यार्थी जीवन चक्र एवं प्रबंधन (Student Life Cycle Management)

विद्यार्थी जीवन चक्र एवं प्रबंधन के संबंध में चिप्स एवं पी.डब्ल्यू.सी. के अधिकारियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया तथा विस्तृत चर्चा की गई, जिसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :–

(i) विद्यार्थी के महाविद्यालय में प्रवेश से लेकर उसके टी.सी. प्राप्त करने तक की समस्त प्रपत्र इलेक्ट्रानिक फार्मेट में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा।

(ii) विद्यार्थी के महाविद्यालय में प्रवेश लेते ही उसे एक Unique ID दी जाएगी जिसके माध्यम से वह अपना समस्त कार्य ऑनलाईन कर सके।

(iii) महाविद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति की मानीटरिंग की जा सकेगी एवं विद्यार्थियों की अनुपस्थित होने की दशा में तथा उनकी अन्य गतिविधियों के संबंध में भी अभिभावकों को एस.एम.एस. द्वारा जानकारी दी जा सकेगी।

(iv) महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी का एक डाटाबेस तैयार रहेगा जो उसके महाविद्यालय से पास होने के पश्चात् भी आवश्कतानुसार उपयोग में लाया जा सकेगा।

(v) सत्र 2015–16 में प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों–पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर तथा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में विद्यार्थी जीवन चक्र एवं प्रबंधन की सुविधा तथा प्रकिया लागू होंगी। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर पासआउट होने तक सभी जानकारी उपलब्ध होगी। विभाग द्वारा इस संबंध में चिप्स को कुछ राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा प्रथम चरण में चिप्स द्वारा इन चार विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जावेगी जिनके द्वारा इस संबंध में तीन माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतः सभी तीन माह में समस्त तैयारियां कर लें। इस वर्ष यह प्रकिया ऑफ लाइन एवं ऑन लाइन दोंनो रखा जावे। आगामी वर्ष में समस्त कार्य ऑन लाइन किया जाए। निजी विश्वविद्यालय भी सुविधानुसार विद्यार्थी जीवन चक्र एवं प्रबंधन बावद् व्यवस्था लागू कर सकते है।

आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में उपरोक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसे लागू करने के बाद इसमें आ रही कठिनाइयों को धीरे–धीरे दूर किया जाएगा एवं प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। इस हेतु चिप्स के अधिकारियों के द्वारा सभी संबंधितों को प्रशिक्षण दिया जाकर इसी वर्ष से उक्त साफ्टवेयर को लागू करने के संबंध में माननीय मंत्रीजी के द्वारा निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही AD(S) JD(C))

2. छात्र संघ चुनाव–

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में पूर्व वर्ष की भांति छात्र संघ चुनाव कराये जाने हेतु माननीय मंत्रीजी के द्वारा भी सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है। अतः छात्र संघ चुनाव के संबंध में विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में निर्देश जारी किया गया/सहमति व्यक्त की गई:–

(i) शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को पृथक से पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं एवं जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग की जाएगी।

मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

(ii) छात्रसंघ चुनाव गत वर्ष की भांति ही सम्पन्न कराये जावें, चुनाव मॉडल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जावेगा।

(iii) निजी विश्वविद्यालय भी छात्रसंघ चुनाव अध्यादेश कमांक –1 के प्रावधानानुसार ही सम्पन्न करायेंगें । वैसे भी चुनाव चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराये जाना है।

(iv) कामधेनू विश्वविद्यालय एवं आयुष विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर चुनाव सम्पन्न करावें। अतः इस संबंध में कोई वैधानिक समस्या नहीं है।

(v) दुर्ग विश्वविद्यालय में इस वर्ष छात्रसंध चुनाव नहीं होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय को कियाशील होने में समय लगेगा।

(vi) छात्रसंघ चुनाव हेतु महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में मतदान 25 अगस्त एवं विश्वविद्यालय में 2 सितम्बर को होगा। इस बावत विस्तृत समय–सारणी तथा मार्गदर्शिका सभी को उपलब्ध कराया गया।

(vii) गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव कराया जाना है। छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार संपन्न कराये। बैठक में छात्र संघ चुनाव मार्गदर्शिका 2015–16 प्रदाय की गई तथा बिन्दुवार चुनाव कार्यकम के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। कुछ संशोधन उपरान्त चुनाव कार्यकम मान्य किया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय मंत्रीजी के द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

- माननीय मंत्रीजी ने निर्देशित किया कि शैक्षणिक सत्र 2015–16 में अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक होने पर स्वीकृत सीट संख्या में 10 प्रतिशत की सीट वृद्धि प्राचार्य अपने स्तर पर कर लें एवं इसकी

कार्योत्तर अनुमति शासन से प्राप्त करें। सीट वृद्धि करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के बैठने के लिए जगह है तथा इस हेतु अतिरिक्त रूप से कोई संसाधन या अमला शासन से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। 10 प्रतिशत से अधिक सीट वृद्वि किये जाने की स्थिति में नियमानुसार स्वीकृति राज्य शासन से लिया जावे।

- शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी में एन.सी.सी. अधिकारी हेतु वहां पदस्थ सहायक प्राध्यापक को निर्देशित किया जाए। इसी प्रकार अन्य महाविद्यालयों में भी कार्यवाही की जावें।
- शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा में कन्या छात्रावास के बाउण्ड्रीवाल हेतु आगामी बजट में प्रस्ताव रखा जावें।
- शासकीय महाविद्यालय, मुंगेली एवं रामानुजगंज में बाउण्ड्रीवाल हेतु आगामी बजट में प्रस्ताव रखा जावें।
- शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिशास्त्र प्रारंभ करने की अनुमति जनभागीदारी मद से दी जा सकती है।
- शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर में कक्षाओं में फर्नीचर की कमी दूर करने हेतु जिला कलेक्टर से सहयोग लिया जावें।
- प्राचार्य सूरजपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शासकीय महाविद्यालय, ओडगी में इस वर्ष एक भी छात्रों ने प्रवेश नही लिया है। प्राचार्य को निर्देशित किया गया कि जिला कलेक्टर एवं स्थानीय विधायक के माध्यम से इस संबंध में प्रस्ताव भेंजे, ताकि महाविद्यालय को बंद करने की कार्यवाही कर वहां के शिक्षकों को अन्यत्र महाविद्यालय में पदस्थ किया जा सके।

अंत में सचिव उच्च शिक्षा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

"परिशिष्ट–अ"

कुलपति–गण

1. डॉ. एस.के.पाण्डे,
कुलपति,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.

2. सुश्री मांडवी सिंह
कुलपति,
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ।

3. डॉ. एन.डी. आर. चन्द्रा,
कुलपति,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर ।

4. डॉ. बी.एल. शर्मा,
कुलपति,
सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर।

5. डॉ. एम.एस. परमार
कुलपति,
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.।

6. डॉ. बी.जी. सिंह,
कुलपति,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर।

7. डॉ.यू.के. मिश्रा,
कुलपति,
छत्तीसगढ कामधेनु विश्वविद्यालय,

8. डॉ. एन.पी. दीक्षित,
कुलपति,
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग

9. डॉ. जी.व्ही. गुप्ता
कुलपति,
छ.ग.आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर

10. प्रो. व्ही. जॉन,
कार्यवाहक कुलपति,
मेट्स विश्वविद्यालय, आरंग, रायपुर।

11. डॉ. आर.पी. दुबे,
कार्यवाहक कुलपति,
सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा,बिलासपुर।

12. डॉ.एस.पी. गुप्ता,
कुलपति,
आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, रायपुर

13. डॉ. जगन्नाथ पटनायक,
कुलपति,
कलिंगा विश्वविद्यालय, आरंग, रायपुर

अधिकारीगण

1. श्री राजेश राणा, उपसचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक रुसा
2. डॉ अशोक पाडेय, ओ.एस.डी., छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर
3. डॉ आर. बी. सुब्रमनियम, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
4. डॉ डी एन वर्मा, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
5. डॉ. के.एन. बापट, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
6. डॉ पी.सी. चौबे, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
7. डॉ किरण गजपाल, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
8. श्री आर.एल. मसिया, संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
9. प्रो. तिलक सेन गुप्ता, उपसंचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
10. प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
11. प्राचार्य, शासकीय डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार
12. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबंद
13. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, महासमुन्द
14. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
15. प्राचार्य, शासकीय वी.वाय.टी. पी.जी. महाविद्यालय, दुर्ग
16. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बालोद
17. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बेमेतरा
18. प्राचार्य प्रतिनिधि, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव
19. प्राचार्य, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा
20. प्राचार्य, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
21. प्राचार्य, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
22. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव
23. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर
24. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा
25. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर
26. प्राचार्य, शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
27. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मुंगेली
28. प्राचार्य, शास. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर
29. प्राचार्य, शास. ई.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा
30. प्राचार्य, शास. किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़
31. प्राचार्य, शासकीय एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर
32. प्राचार्य, राजीवगांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर
33. प्राचार्य, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ–कोरिया
34. शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर
35. शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर
36. शासकीय महाविद्यालय, सुकमा